कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागपत

प्रेस विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र संख्या 1942/SLSA-49/2016(Hairder/RKM) दिनांक 16.06.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में स्थाई लोक अदालत बागपत के एक सदस्य पद हेतु अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.06.2023 को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र संख्या 2642/SLSA-49/2016(2022-23) दिनांक 16.08.2023 के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि जनपद बागपत में स्थाई लोक अदालत सदस्य पद हेतु आवेदन समस्त अभ्यर्थियों को साक्षत्कार दिनांक 05.09.2023 को प्रातः 10.00 बजे से आनलाईन माध्यम से जनपद न्यायालय बागपत के सभागार में लिया जायेगा।

अतः समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है की स्थायी लोक अदालत बागपत के एक सदस्य पद हेतु आयोजित साक्षत्कार में दिनांक 05.09.2023 समय 10.00 बजे आवेदन पत्र में उल्लिकित समस्त मूल दस्तावेज, पास-पोर्ट साइज फोटो व अपने मूल पहचान पत्र के साथ ऑनलाइन साक्षत्कार हेतु जनपद न्यायालय बागपत के सभागार में उपस्थित होना सुनिश्चित करे। यह भी अवगत कराया जाता है कि कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पत्र उचित माध्यम से अलग से भी प्रेषित किया जा रहा है। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रेषित साक्षात्कार पत्र प्राप्त नही होता है तो वह किसी भी कार्य दिवश में 05.09.2023 से पहले उपस्थित होकर साक्षात्कार पत्र प्राप्त कर सकते है।

दिनांकः 28.08.2023

28.08.23

(शिव कुमार III)
अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश / सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बागपत।